राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.15(12)/ राज/वाद/2006पार्ट जयपुर, दिनांकः–23.12.20

–::आदेश::–

विधि विभाग के यथासंशोधित आदेश प.15(12) राज/वाद/2006 दिनांक 26.10.10 के खण्ड सी के स्लेब तीन के बिन्दु सं–5 में लोक महत्व की लोकहित वाद याचिकाओं (Public Interest Litigation of Public Importance) में महाधिवक्ता /अतिरिक्त महाधिवक्तागण को स्लेब –3 की विशेष फीस दिये जाने के प्रावधान है।

ऐसे प्रकरणों/याचिकाओं में जहां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) एवं याचिका के सार वर्णन (Synopsis) से प्रकरण का लोक महत्व की लोकहित वाद याचिका होना स्पष्ट ज्ञात होता है ऐसे समस्त प्रकरणों में विधि विभाग के स्तर से उनकी नियुक्ति व पैरवी निर्देश पृथक से जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा आदेश दिनांक 26.10.10 के खण्ड सी के स्लेब–3 के बिन्दु सं 5 के अनुसार विधि विभाग की Deemed Sanction मानी जावेगी।

आज्ञा से

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि

क्रमांक प.15(12)/ राज/वाद/2006पार्ट जयपुर, दिनांकः–23/12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर ।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
4. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी /सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी,विधि विभाग जयपुर।
5. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(मधुसुदन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव,विधि (वादकरण)